aforesaid Naphtha. For smooth operation of gas cracker, a decision has been taken to transfer Gas Authority of India. Ltd.'s Gas Separation Plant at Lakwa to RAPL at a transfer price to be determined by Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP). RAPl has also recruited 65 technical personnels from the State of State .of Assam who are undergoing training at Reliance Industries Ltd.

RAPL has informed that preparation of Detailed Project Report would require finalisation of feedstock related agreements. The project at an estimated cost of Rs. 3600 crores ifi expected to be commissioned in forty four months from the date of signing of Gas Supply Agreement and handing over of entire land required for the project.

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के निजी कर्मचारियों की नियुक्ति

4138. **श्री चीमनभाई हरीबई शुक्ला**: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गृह, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालयों और दिल्ली प्रशासन के बिक्री विभाग और लोक निर्माण के कर्मचारियों को रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के निजी स्टाफ में नियुक्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है, क्या मंत्री की निजी स्टाफ में उनकी नियुक्ति होने के कारण रिक्त हुए पदों पर अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है;

(ग) क्या मंत्री के निजी स्टाफ के कर्मचारियों के अपने-अपने विभागों में वापस आने पर उन्हें दिल्ली में पुनः तैनात किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण और औचित्य क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.ए.के. पटेल): (क) से (घ) सरायन और उर्वस्क राज्य मंत्री के कार्यालय में कार्यरत स्टाफ स्वीकृत पदों के अनुसार लिए गए हैं। ये कार्मिक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/तथा बाहर से आए हैं। ये नियुक्तियां राज्य मंत्रियों के कार्यालयों में स्टाफ की नियुक्ति हेतु नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार की गई हैं। ये नियुक्तियां रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के कार्यालय के साथ सहसमाप्य आधार पर की गई हैं और ये सबी पटधारी रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा पद त्याग देने के पश्वात् अपने-अपने मूल विभागों/कार्यालयों में वापस चले जाएंगें।

उर्वरक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव

4139. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी**: क्या रसायन और उर्वपरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय को उर्वरक उद्योग को बढ़ावा देने हेतु 30 अप्रैल, 1998 तक कुल कितने प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन प्रस्तावों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उनके द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या उर्वरक उद्योग को कढ़ावा देने संबंधी इन प्रस्तावों को उन्होंने गंभीरता से लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.ए.के. पटेल): (क) से (घ) सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को आरी किए गए औद्योगिक नीति विषयक वक्तव्य के अनुसार उर्वरक परियोजनाओं के प्रवर्तकों द्वारा औद्योगिक लाइसेंस लेने की सामान्यतः आवश्यकता नहीं है। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को अपनी प्रदत वितिय शक्तियों से अधिक पूंजी व्यय करने के पूर्व सरकार का अनुमोदन लेना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों द्वारा तैयार किए गए और निवेश अनुमोदन हेतु सरकार को